

किराया द्विपक्षीय घोषणा पत्र

(किरायानामा)

(केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए)

प्रोफाइल आईडी :		संस्थान का नाम, जिला :	
किरायेदार (छात्र/छात्रा) नाम:		पिता/पति का नाम:	
स्थायी पता:		जिला:	
		पिन कोड:	
किराया पता का विवरण:			
मकान मालिक का नाम:		पिता/पति का नाम:	
किराया का पता:		वार्ड नं :	
		स्थानीय निकाय :	☐ ग्राम पंचायत ☐ नगर पालिका
		(चुनें ✓ :)	☐ नगर परिषद ☐ नगर निगम
स्थानीय निकाय का नाम:		ब्लॉक का नाम:	
पिन कोड:		जिला:	
मकान मालिक फोन नंबर:		मकान मालिक पहचान पत्र चुनें: ☒	
पहचान पत्र संख्या:		☐ वोटर आई.डी.	☐ राशन कार्ड ☐ बैंक पास बुक
(प्रति संलग्न करें)		☐ बिजली बिल	☐ पैन कार्ड ☐ ड्राइवर लाइसेंस

किराया विवरण:

किराया प्रारंभ दिनांक :/...../.....

किराया (प्रति माह):

शब्दों में किराया (प्रति माह):

मैं (दोनों पक्ष) घोषणा करता हूँ कि:

- घोषित किरायेदार वर्तमान में उपरोक्त किराये के पते पर रहता है, जो ऊपर घोषित मकान मालिक के स्वामित्व में है।
- मैंने (दोनों पक्ष) उपर्युक्त पता, किराया, दिनांक तथा अन्य विवरणों को सत्यापित कर लिया है और उपर्युक्त विवरण मान्य और सही हैं।
- उपर्युक्त जानकारी को सभी देयता और जिम्मेदारी, मेरे (दोनों पक्ष) द्वारा वहन की जाएगी।

किरायेदार:-

हस्ताक्षर

नाम.....

मकान मालिक:-

हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक :

स्थान :

महत्वपूर्ण निर्देश:

- यह किराये की घोषणा केवल वर्तमान किराये के पते के लिए मान्य है।
- कृपया मकान मालिक द्वारा सत्यापित मकान मालिक के घोषित पहचान पत्र का प्रति संलग्न करें।
- यह किराये का प्रमाण पत्र केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए लागू और मान्य है।
- केवल इस दस्तावेज की उपलब्धता, योजना की पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को हकदार नहीं बनाती है। यह योजना के मानदंडों में से एक है।
- इस दस्तावेज की अधिकतम वैधता किराया प्रारंभ की तारीख से 11 महीने तक है।